

प्रेषक,

रायगंश शासी,
सचिव,
उत्तरार्चल शासन।

में,

समस्त प्रधुष सचिव/सचिव/अपर सचिव,
उत्तरार्चल शासन।

मापदं चिलाभिकारी,
उत्तरार्चल।

समस्त विभागाभ्यः,
उत्तरार्चल।

कामिंक विभाग

देहरादून:दिनांक: जुलाई १५, २००१

विषय - राज्याधीन गोपालो, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, नियमों एवं
स्वायत्तरासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महान् देव,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निरेश हुआ है कि द्वासन द्वारा
उत्तरार्चल राज्य में राज्याधीन सेवाओं/सार्वजनिक उद्यमों/निगमों, स्वायत्तरासी
संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण को नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में
सम्पूर्ण रूप में विचारोपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आवाहे उपलब्ध
होने तक, वर्तमान में उपलब्ध जनसंख्या(रेपिड सर्वे)के आंकड़ों के आधार पर
आपिया आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरार्चल राज्य में
आपिया अनन्तिम रूप से निम्नवत् निर्धारित दिये जाने का शासन द्वारा निर्णय
लिया गया है:-

- | | |
|----------------------|-----|
| (1) अनुगृहीत जाति | 19% |
| (2) अनुगृहीत जनजाति | 01% |
| (3) अन्य पिछड़ा वर्ग | 14% |

2. रामेन्द्र गुप्त यह भी निर्णय लिचा गया है कि महिलाओं, भूत्यूर्ब संनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम संनानियों के आश्रितों को निष्पानुसार हारिजनन्दन आरक्षण अनुमत्य किया जाय:-

- | | |
|---|-----|
| (i) महिलाएँ | 20% |
| (ii) भूत्यूर्ब संनिक | 02% |
| (iii) विकलांग व्यक्ति | 03% |
| (iv) स्वतंत्रता संग्राम संनानियों के आश्रित | 02% |

जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगा/होगा उसे उसी वर्ग में हारिजनन्दन आरक्षण अनुमत्य होगा।

3. आरक्षण के सम्बन्ध में स्थायी रूप से जाति का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

भवदीय,

सचिव

रामेन्द्र गुप्त (1)/कार्यालय-2-2001 तादिनीक ।

प्रतिलिपि निर्माणित यो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
2. मनिय, लोक संघ आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
3. नियन्त्रक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
4. आयुक्त, अनुशूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल देहरादून।
5. मनिय, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. सरकार मंत्रियों के निजी सचिव, मानवीय मंत्रीगण के सूचनार्थ।
7. राज्यालय के समस्त अनुभाग।
8. गाड़ फार्मल।

आशा से,

(आर०सी०लोल०पी)
अनु सचिव